न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 05/2020

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थीगण
1. हरभिन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर। 2. दलजीत सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर। 3. सतप्रकाश कौर पत्नी हरजीत सिंह पुत्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी बोहा तहसील बुढवाला जिला मानसा पंजाब। 4. गुरजीत कौर पत्नी करतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर।	1. करतार सिंह पुत्र कुन्दन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 21.01.2021

उपस्थितः 1.श्री जसकरण गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी

--निर्णय-- **दिनांकः** 30/03/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 6 ओ ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 9 के मुरब्बा नम्बर 9, 20 की कुल 4.704 हैक्टर नहरी भूमि तथा खाता संख्या 34 के मुरब्बा नम्बर 18 में 1.025 हैक्टर नहरी भूमि में से 0.523 हैक्टर नहरी भूमि अप्रार्थी करतार सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस प्रकार दोनों खातों में अप्रार्थी के नाम 5.227 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 6 ओ ए के खाता संख्या 9 के मुरब्बा नम्बर 9 की 2.035 हैक्टर भूमि तथा खाता संख्या 34 के मुरब्बा नम्बर 18 की 0.523 हैक्टर भूमि अप्रार्थी को कुन्दन सिंह पुत्र झण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ से जरिये रजिस्ट्रर्ड वसीयत दिनांक 30.10.1999 को प्राप्त हुई है, तथा चक 6 ओ ए के खाता संख्या 9 के मुरब्बा नम्बर 20 की 2.669 हैक्टर नहरी भूमि अप्रार्थी को विरास्तन प्राप्त हुई है। उक्त भूमि हमारे हिन्दू खानदान की कोपार्सनरी भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण का हक व हिस्सा ज[illegible] है। अप्रार्थी के नाम दर्ज उक्त 5.227 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के साथ 1/5-1/5 हिस्सा [illegible]रने का जन्म से अधिकारी है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी[illegible] होने के कारण अप्रार्थी, प्रार्थीगण को हमारे हिस्सा से महरूम करना चाहता है [illegible] हमारे हक व हिस्सा की भूमि को खुर्द-बुर्द करना चाहता है। यदि अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण अपनी हिस्सा व कब्जा की भूमि से महरूम हो जाऐगे। जिससे प्रार्थीगण को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। राजस्थान सरकार द्वारा काश्तकारी अधिनियम के तहत ''राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग क्रमांक प. 5(1) राज-6/97/10 जयपुर दिनांक 08.09.1997'' अधिसूचना जारी कर प्रावधान विहित किया गया है कि ''हिन्दू उत्तराधिकारी विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि में जन्म से ही अधिकार है इसलिए पुत्र अपने पिता के नाम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:41:52 IST
Reason: SelfAttested

30/03/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही इन प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।" इसलिए प्रार्थीगण उक्त दावा व प्रार्थना पत्र ला पाने का अधिकारी है और अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि की खातेदारी घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। आज से दस रोज पूर्व प्रार्थीगण अप्रार्थी से मिले और उसे कहा कि वह उक्त भूमि में से हमारा हिस्सा हमारे नाम करवा देवे और उक्त भूमि को खुर्द बूर्द ना करे तो अप्रार्थी ने स्पष्ट इंकार करते हुए कहा कि मैं तुम्हे तुम्हारे हिस्सा की भूमि नहीं दूंगा और तुम्हारे हिस्सा की भूमि अन्यत्र बेचान करके खुर्द बूर्द कर दूंगा और तुम्हारे हिस्से से महरूम कर दूंगा। यदि अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्राथीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थी के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि चक 6 ओ ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 9 के मुरब्बा नम्बर 9 में 2.035 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 20 में 2.669 हैक्टर नहरी भूमि कुल 4.704 हैक्टर नहरी भूमि व खाता संख्या 34 के मुरब्बा नम्बर 18 में 1.025 हैक्टर नहरी भूमि में से 0.523 हैक्टर नहरी भूमि कुल 5.227 हैक्टर भूमि को रहन, बैय, वसीयत करने से एंव अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करने से बाज एंव ममनू रहे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित आए, व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार मुझ अप्रार्थी को चक 6 ओ ए की भूमि जरिये वसीयत दिनांक 30.10.1999 पिता कुन्दन सिंह से मुरब्बा नम्बर 9, 18, 20 में से 4.131 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई थी। प्रार्थीगण द्वारा मद में जरिये वसीयत अप्रार्थी को कम भूमि प्राप्त होना गलत दर्ज किया गया है। यह भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है। इस भूमि में अप्रार्थी के परिवार का कोई हक नहीं है, व शेष भूमि भी अप्रार्थी की है। जिस पर सिर्फ अप्रार्थी का हक है। अप्रार्थी के पास कृषि भूमि के अलावा आय का कोई भी जरिया नहीं है। वह 84 साल का बूढा व्यक्ति है। मेहनत नहीं कर सकता इसी भूमि से जीवन यापन कर रहा है। जबकि प्रार्थी संख्या 1, 2, 4 सभी कनाडा के स्थाई निवासी है व बढिया कारोबार है। प्रार्थीगण इस भूमि में से हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण कभी भी भूमि बाबत 6 ओ ए में अप्रार्थी के पास नहीं आए। अप्रार्थी अकेला रहता है। प्रार्थीगण ने मुझ अप्रार्थी के खिलाफ कनाडा में भी झूठा केस दर्ज कराया था। विवादित भूमि में से अप्रार्थी का जीवन यापन होता है। अप्रार्थी इसे खूर्द-बूर्द क्यों करेगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। पत्रावली प्रार्थना पत्र, पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2073 ता [illegible] ओ ए के खाता संख्या 09 व इन्तकाल संख्या 181 का गहनतापूर्वक अध्ययन एंव [illegible] हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन [illegible] 3 बिन्दूओं के आधार पर करना विधिसंगत समझते है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:52 IST
Reason: SelfAttested

<u>1.प्रथम दृष्टया मामला</u>:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं।

20/03/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

हरभिन्द्र सिंह आदि बनाम करतार सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 05/2020

हमने जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 9, 34 में करतार सिंह पुत्र कुन्दन सिंह के नाम दर्ज भूमि, वसीयतनामा दिनांक 30.10.1999 प्रतिलिपि, इन्तकाल संख्या 181 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी करतार सिंह को उसके पिता से प्राप्त हुई है। लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचनों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला भली भांति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2.सुविधा का संतुलन:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीगण/वादीगण को अधिकतम असुविधा होगी। चूंकि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी करतार सिंह को उसके पिता से प्राप्त हुई है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष साबित होता है।

3.अपूरणीय क्षतिः- उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुए है। चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/वादीगण को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने से वादीगण/प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में मूलवाद पर गुणावगुण टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हो चुके है अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत/ उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का पारित किया जाता है कि चक 6 ओ ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 खाता संख्या 9 के मुरब्बा नम्बर 9, 20 की कुल 4.704 हैक्टर नहरी भूमि व इसी चक के खाता संख्या 34 के मुरब्बा नम्बर 18 की 1.025 हैक्टर नहरी भूमि में से अप्रार्थी करतार सिंह के नाम दर्ज कुल 5.227 हैक्टर नहरी भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

30/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30/03/2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

30/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:52 IST
Reason: SelfAttested